

I 5972

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार कृषि
(कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औधोगिक/अन्य)
2. वार्ड परगना डासना
3. मौहल्ला/ग्राम - सादिकपुर उर्फ काजीपुरा
- 4- सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं० 15 के खसरा नं० 192,
- 5- मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्ग मीटर) हेक्टेयर

महेश्वर प्रसाद



विज्ञापन पत्र

3,726,010.00/ 3,726,010.00

5,005.00

20

5,025.00

1,000

श्रीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल परिलयत
श्री/श्रीमती पाइन रियल स्टेट प्रा लि. द्वारा प्रतिनिधि
पुत्र / पत्नी श्री राकेश उषल पुत्र ब्रजमोहन उषल
पेशा व्यापार

निवासी स्थायी ए-334 शालिक नई दिल्ली
अस्थायी फ्ला

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 1/9/2006 समय 4:51PM
को निबन्धन हेतु पेश किया।



के. के. यादव
उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद
1/9/2006

निबन्धन लेखपत्र बाद सुने व समझने मजबूत व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती अमित
पुत्र/पत्नी श्री सत्यवीर
पेशा कृषि
निवासी सादिक पुर ऊर्फ कज्जी पुरा गा.बाद

केता

श्री/श्रीमती पाइन रियल स्टेट प्रा लि. द्वारा प्रतिनिधि
पुत्र/पत्नी श्री राकेश उषल पुत्र ब्रजमोहन उषल
पेशा व्यापार
निवासी ए-334 शालिक नई दिल्ली

ने निबन्धन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री प्रदीप
पुत्र श्री किरन पाल
पेशा कृषि

निवासी कज्जी पुरा गा बा

व श्री जयचन्द

पुत्र श्री जयपाल

पेशा कृषि

निवासी शाहपुर कम्हेडा

ने की।

प्रत्यक्ष भद्र सक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



के. के. यादव
उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद
1/9/2006

(2)

6- सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.38975 हैक्टेयर

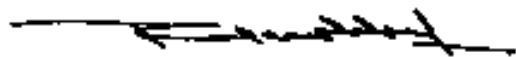
7- सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 200 मीटर से अधिक

8- अन्य विवरण (9 मीटर रोड/ कार्नर इत्यादि) N.A

9. सम्पत्ति का प्रकार भूमि कृषि

10. प्रतिफल की धनराशि 37,26,010/-रूपये

सहित मुद्रा



विक्रेता

Registration No 5972

Year : 2006

Book No. 1

0101

अमित

सद्वीर

राधिक पुर कर्फ काजी पुरा न। बाद

कृधि



Signature of the seller, written in cursive script.

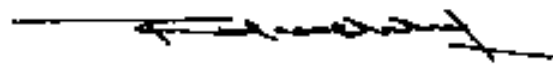


(3)

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

प्रमाणित



क्रेता

Registration No. 5972

Year: 2006

Book No. 1

0201 पाइन रियल स्टेट प्रा लि. द्वारा प्रतिनिधि

राकेश उपाध्याय पूर्व राजगोहन उपाध्याय

ए-334 शिवलिका नई दिल्ली

व्यापार



Handwritten signature or mark.

(4)

बिक्रेता का विवरण:-

1. नाम अभित

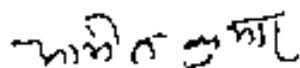
पिता का नाम

श्री सत्यवीर

स्थायी पता सादिकपुर उर्फ काजीपुरा

अस्थायी पता सादिकपुर उर्फ काजीपुरा

व्यवसाय



क्रेता का विवरण:-

पाईन रियल स्टेट प्रा० लि० द्वारा

1. नाम राकेश ठप्पल

पिता का नाम

श्री ब्रजमोहन ठप्पल

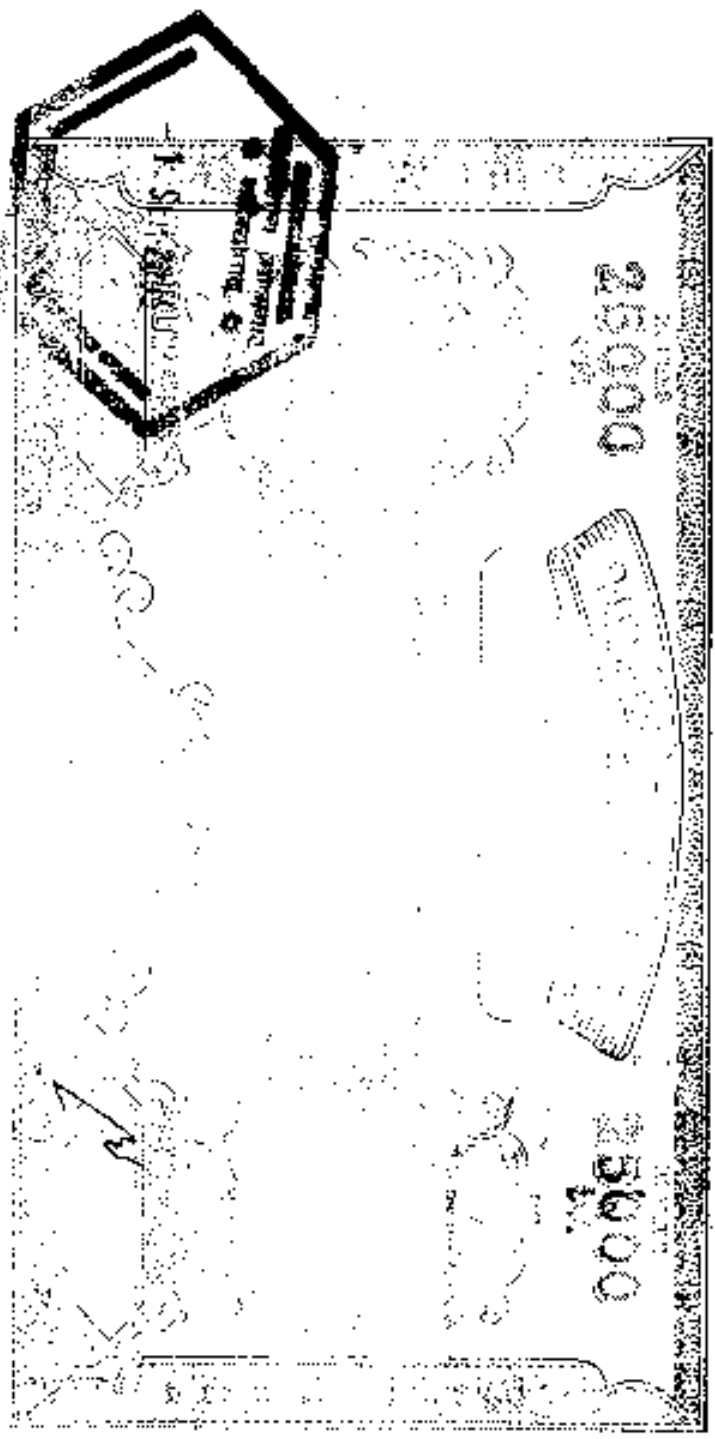
स्थायी पता नई दिल्ली

अस्थायी पता नई दिल्ली

व्यवसाय व्यापार







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

164100

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 37,26,010/ रुपये
स्टाम्प पेपर अंकन : 3,72,700/ रुपये

मैं कि अश्विन पुत्र श्री सत्यवीर निवासी- ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा
परगना हासना तहसील व जिला गाजियाबाद (फरीक अवल, विक्रेता) ।

मैसर्स पार्सन रिअल स्टेट प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सेंटर एन.एफ.
सी. नई दिल्ली द्वारा श्री राकेश उषल पुत्र श्री ब्रजमोहन उषल निवासी-ए-334,
शिवालीक नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम क्रेता)।

अश्विन पुत्र

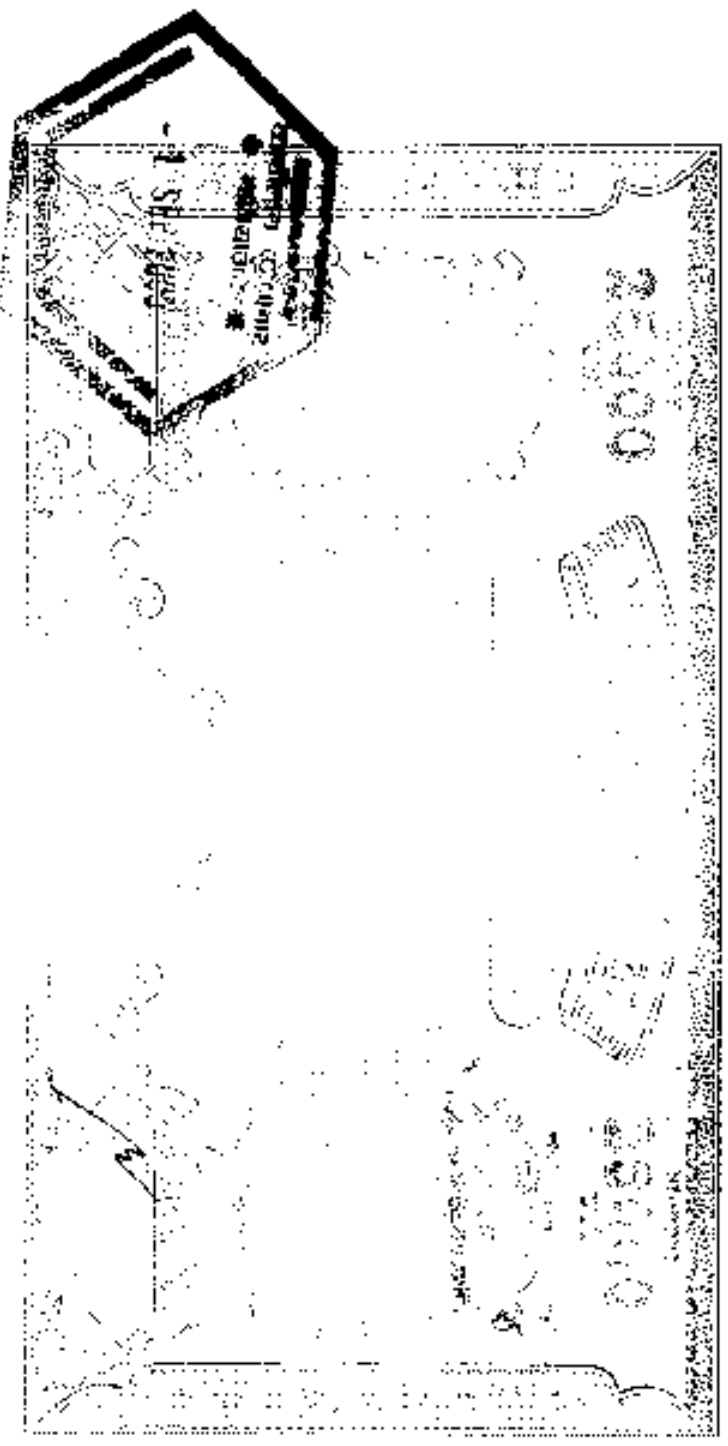
Tejendra Singh
Advocate
Allahabad High Court
15-12-2010





WIR PLAT KEC BANGKALAN 47213 - 53





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

164399

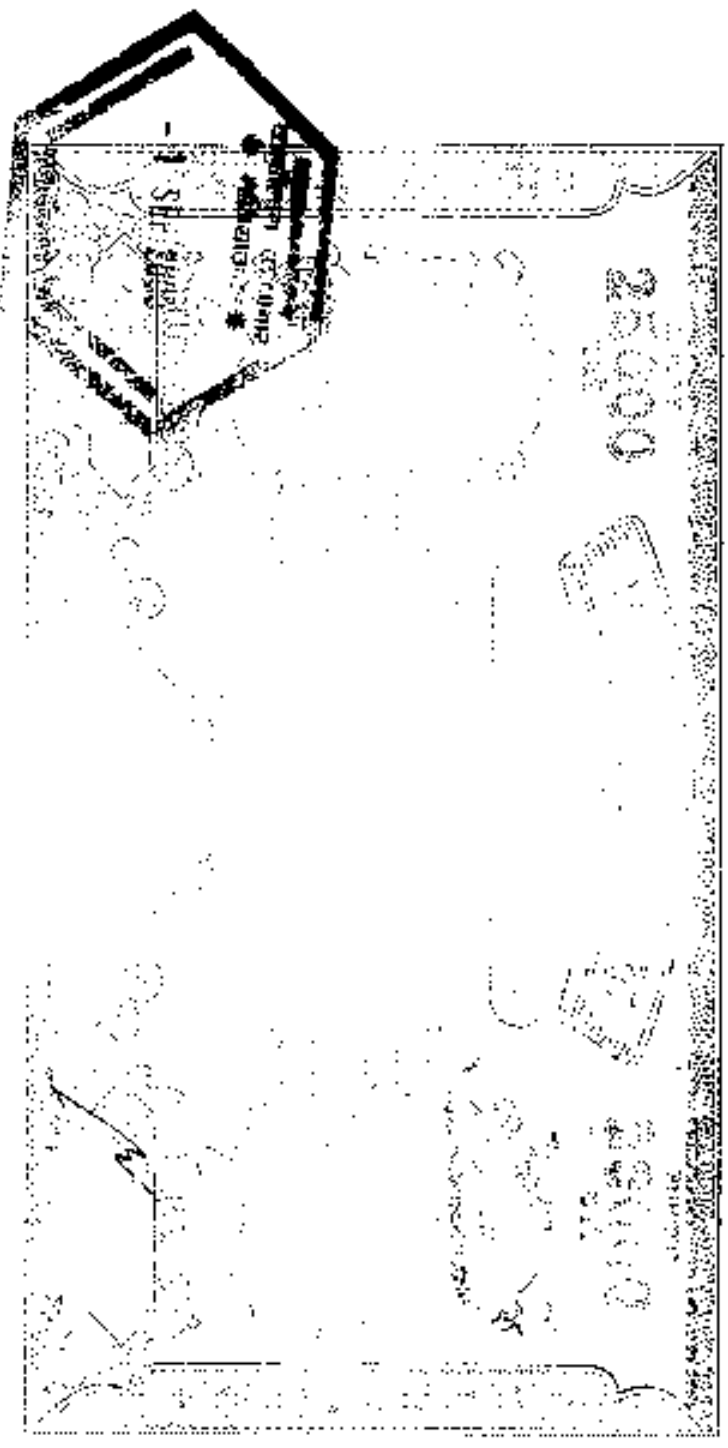
विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुर परगना डारना तहसील व जिला गाजियाबाद (उप्रप्र0), कृषि भूमि खाला नं0 15 के खसरा नं0 192 रकबर्द 1.5590 हैक्टयर का 1/4 भाग रकबर्द 0.38975 हैक्टयर लगानी 43 रुपये 65 पैसे अनुसार खतीनों 1408 ता 1413 फसली जिसके फरीक अव्वल (विकेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी, संक्रमणीय भूमिधर दर्ज भालकाजात है, का बैनामा हाजा मे विक्रय किया गया। विक्रीत भूमि हम फरीक अव्वल (विकेता) की पैतृक भूमि है जिसके हम फरीक अव्वल से पहले हमारे पूर्वज श्री खजान पुत्र स्व0 श्री शाही मालिक थे ।

शाही मालिक

[Signature]

Tejendra Singh
Advocate
Ch. No-297 Civil Court
GHAZIABAD (U.P.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

164399

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम सादिकपुर ठर्फ काजीपुर परगना डारसना तहसील व जिला गाजियाबाद (उप्रप्र0), कृषि भूमि छाता नं0 15 के खसरा नं0 192 रकबई 1.5590 हैक्टयर का 1/4 भाग रकबई 0.38975 हैक्टयर लगानी 43 रुपये 65 पैसे अनुसार खतीनी 1408 ता 1413 फसली जिसके फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी, संक्रमणीय भूमिधर दर्ज भालकागजात है, का बैनामा हाजा मे विक्रय किया गया। विक्रीत भूमि हम फरीक अव्वल (विक्रेता) की पैतृक भूमि है जिसके हम फरीक अव्वल से पहले हमारे पूर्वज श्री खजान पुत्र स्व0 श्री शाही मालिक थे ।

शाही मालिक

[Signature]

Tejendra Singh
Advocate
Civil Court
Ch. No-297
GHAZIABAD (U.P.)

क्र. ४००/१३७
 दिनांक ३०.९.२००६
 - 1 SEP 2006
 प्रकाश
 सोपान प्रकाशन





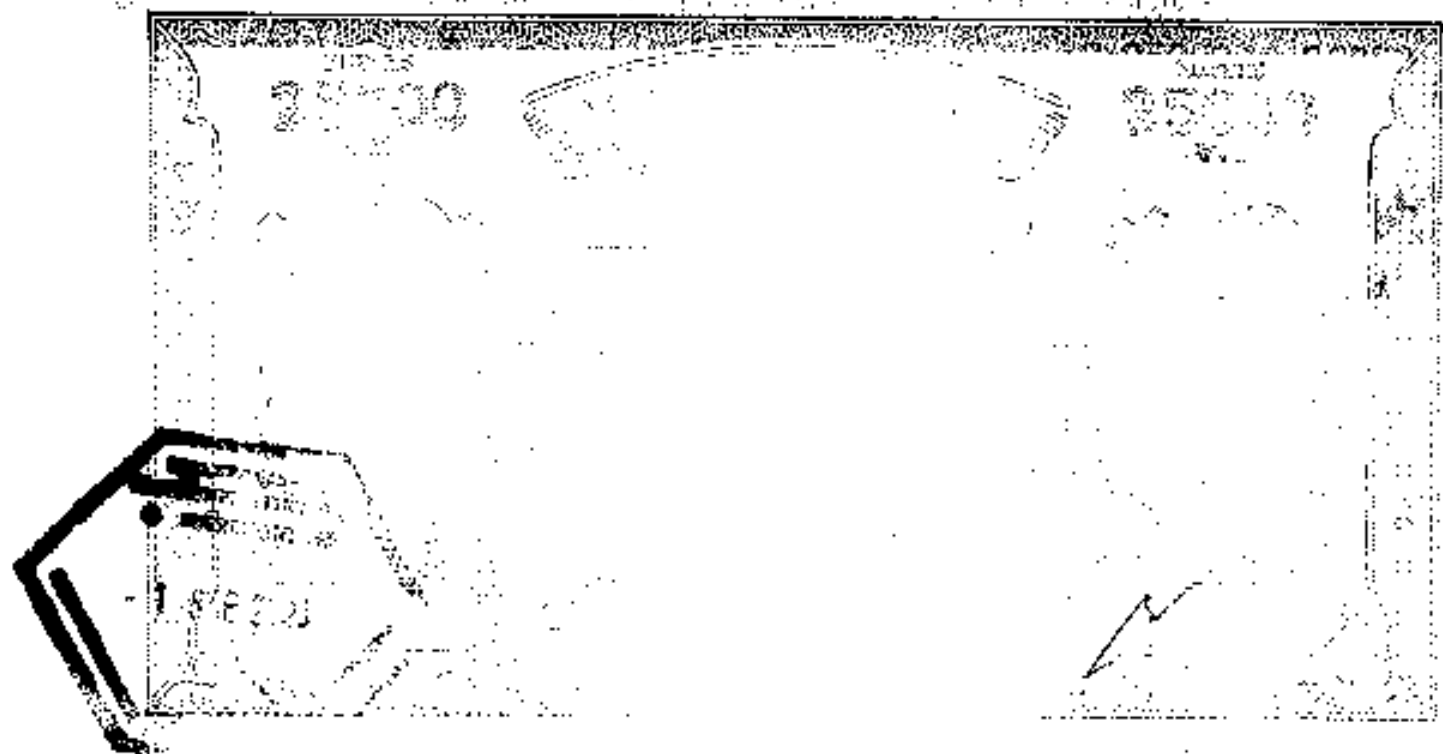
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (7)

164398

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 32,12,475/-रूपये प्रति हेक्टेयर है लेकिन इस विक्रय पत्र में सर्किल रेट के दोगुने से अधिक रू० 95,60,000/-रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अंकन 37,26,010/-रूपये (सैतीस लाख छब्बीस हजार दस रूपये मात्र) मूल्य पर सरकारी स्टाम्प अदा किया गया है।

Handwritten signature



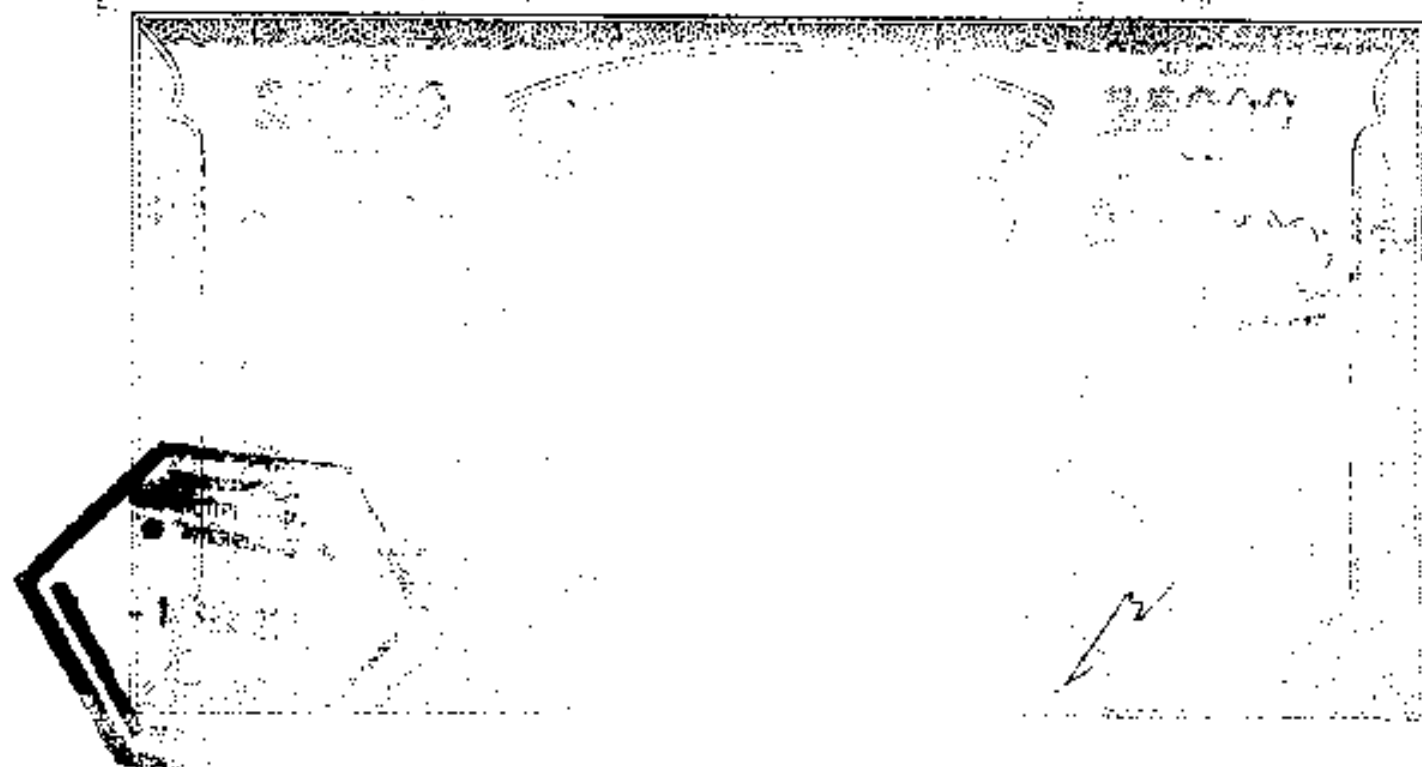


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (8)

164397

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से नहीं है।





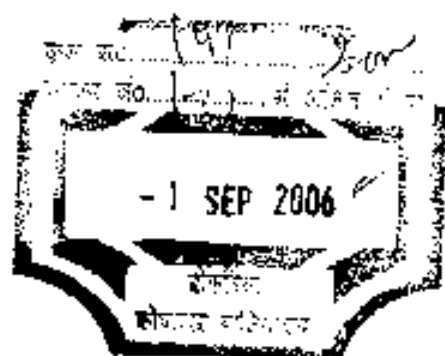
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (९)

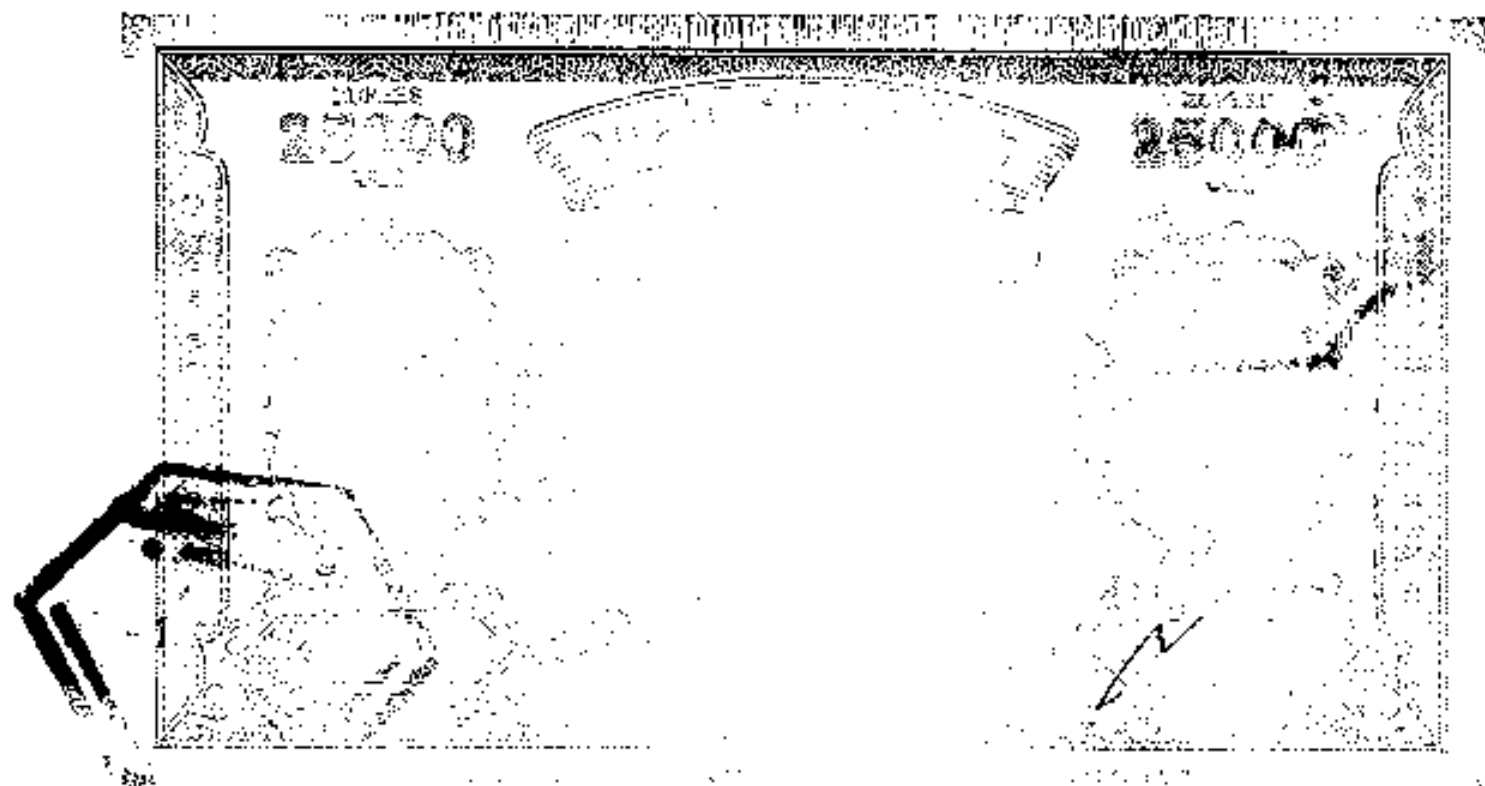
164396

(4) विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की भूमि नहीं है और न ही निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है इस सन्दर्भ में विक्रेता ने संबन्धित श्री मान् तहसीलदार महोदय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तथा विक्रीत भूमि किसी भी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी कार्य हेतु अधिग्रहण के लिये अधिसूचित नहीं की गयी है।

मान्य अधिकारी

~~मान्य अधिकारी~~



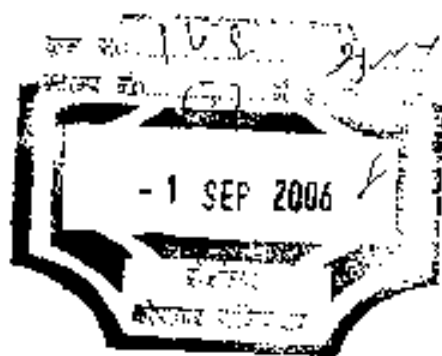


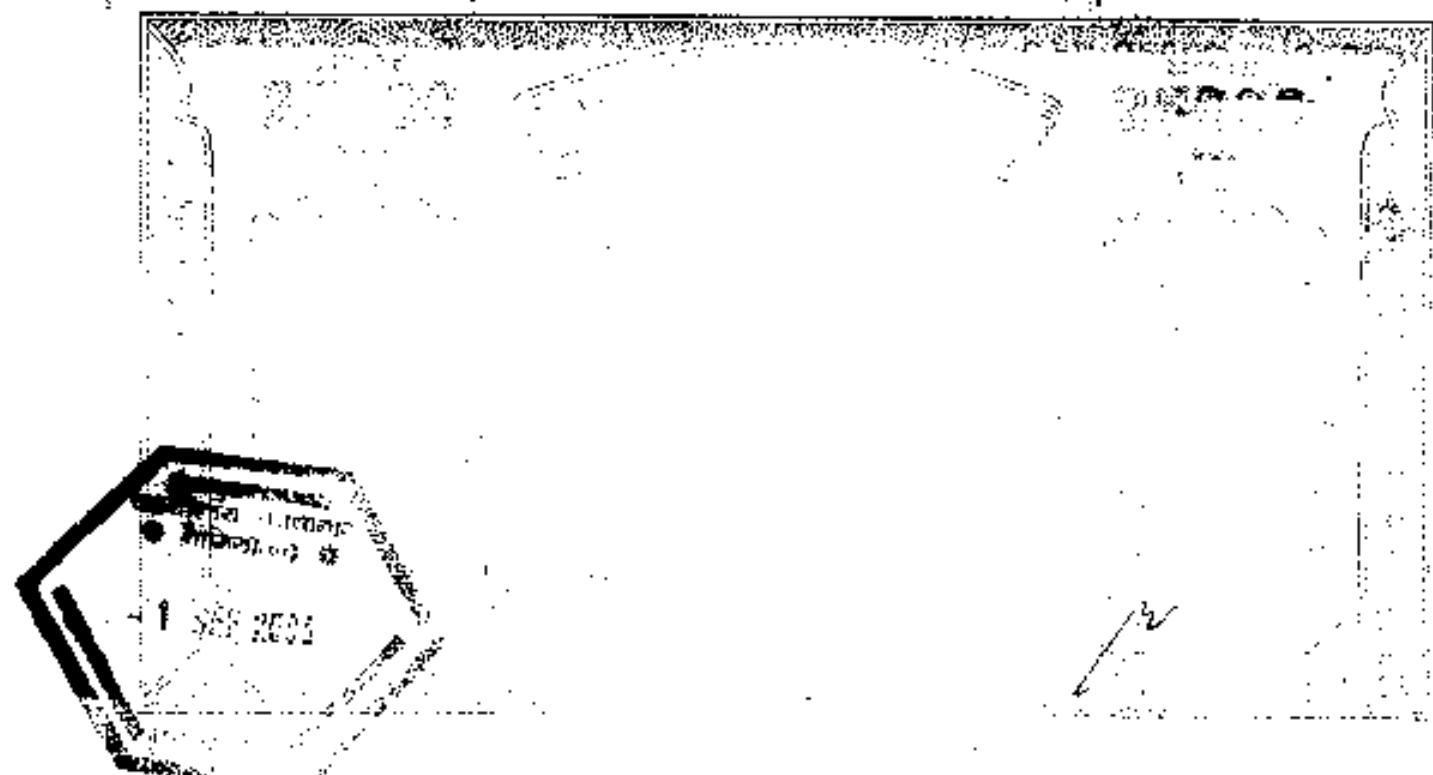
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (10)

164395

(5) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

अभिषेक शर्मा





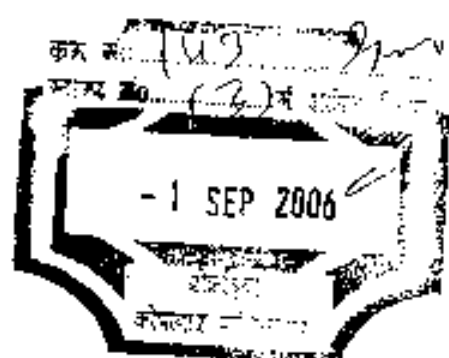
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (11)

164394

(6) यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि का पूर्व में मौखिक इकरारनामा भी दोनों पक्षों के बीच हुआ था तथा विक्रय पत्र लिखे जाने की मौखिक सहमति हुयी थी जिसके अनुपालन में वर्तमान विक्रय पत्र का निष्पादन किया जा रहा है। तत्समय विक्रेता (फरीक अव्वल) ने बजरिये कोटेक महिन्द्रा बैंक लि० शाखा डी-960 फ़ैडस कालौनी, नई दिल्ली, का चेक नम्बर 000015 दिनांकित 27.05.2006 अंकन 3,72,553/-रुपये (तीन लाख बहात्तर हजार पाँच सौ तिरपन रु० मात्र) को अग्रिम में प्राप्त कर लिये थे।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



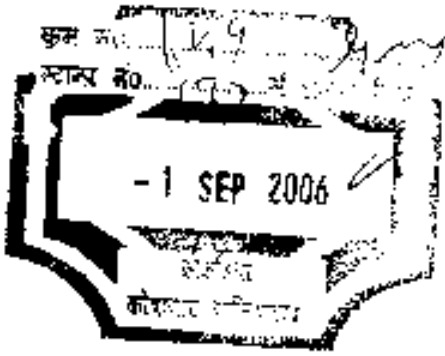


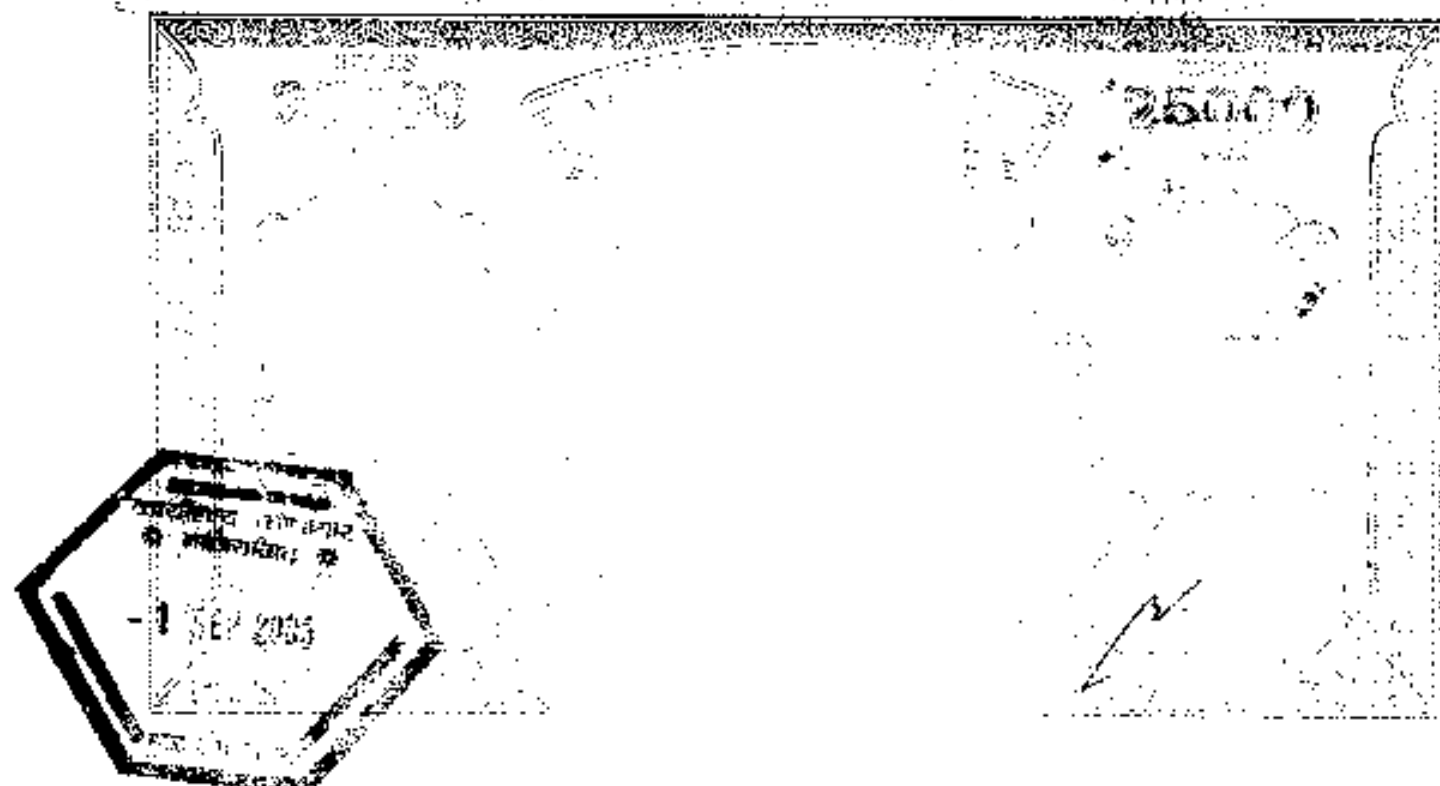
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (12)

164393

(7) विक्रीत भूमि खाता नं० 15 के खसरा नं० 192 रकबई 1.5590 हैक्टेयर का 1/4 भाग रकबई 0.38975 हैक्टेयर, लगानी 43 रुपये 65 पैसे स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद को आज इस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय किया जा रहा है। अब विक्रित भूमि उक्त में विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण व वारिसान का कोई भाग व कुरा शेष नहीं रहा है।

राजेश कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (13)

164392

(8) विक्रेतागण ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, व नक्शा व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।



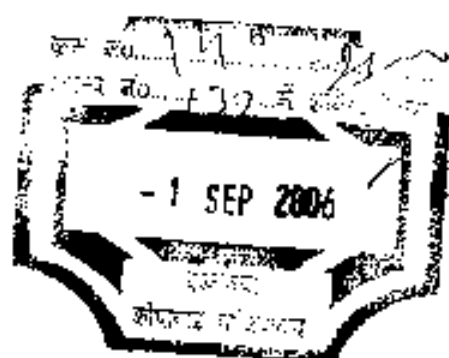


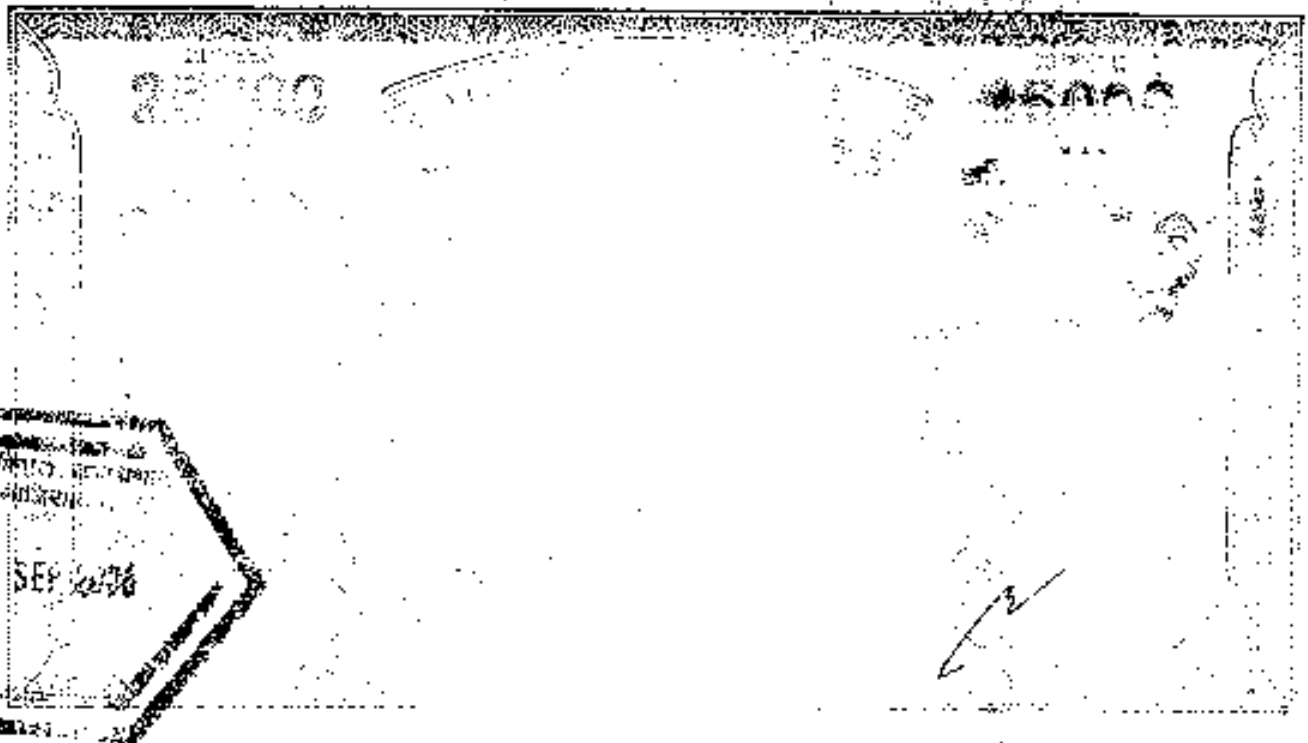
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (14)

164391

(9) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है कही अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है।

Handwritten signature





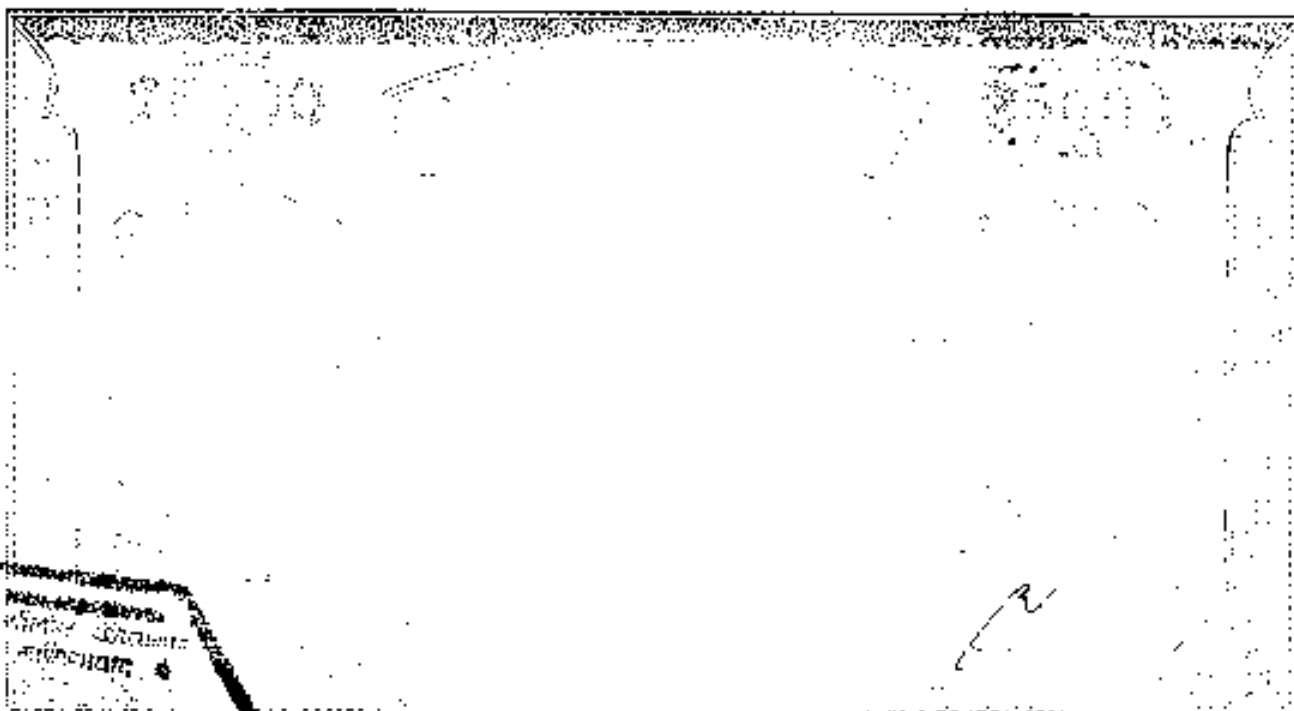
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (15)

164390

(10) विक्रीत भूमि उक्त पर कोई बैंक ऋण व किराई या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज भी नहीं है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी मान्य न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

Handwritten signature

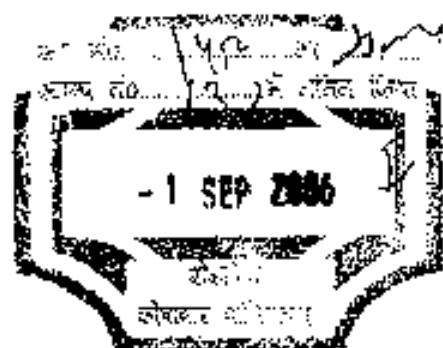


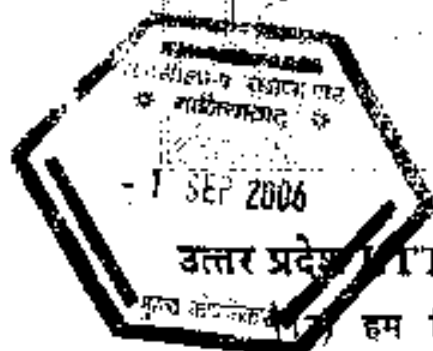


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (16)

164403

विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय मे कोई दोष व त्रुटि नही है हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित /उल्लिखित भूमि के संबंध मे हम विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक मे कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय मे पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व मे न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न ही नोटरी द्वारा सत्थापित हुआ है। यदि भविष्य मे इस संबंध मे कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे ।



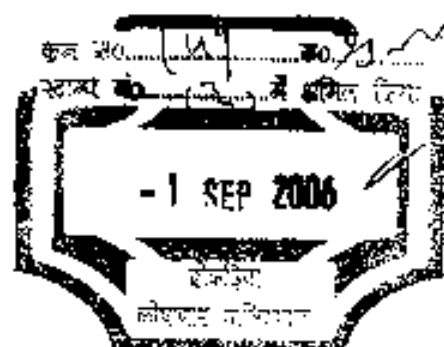


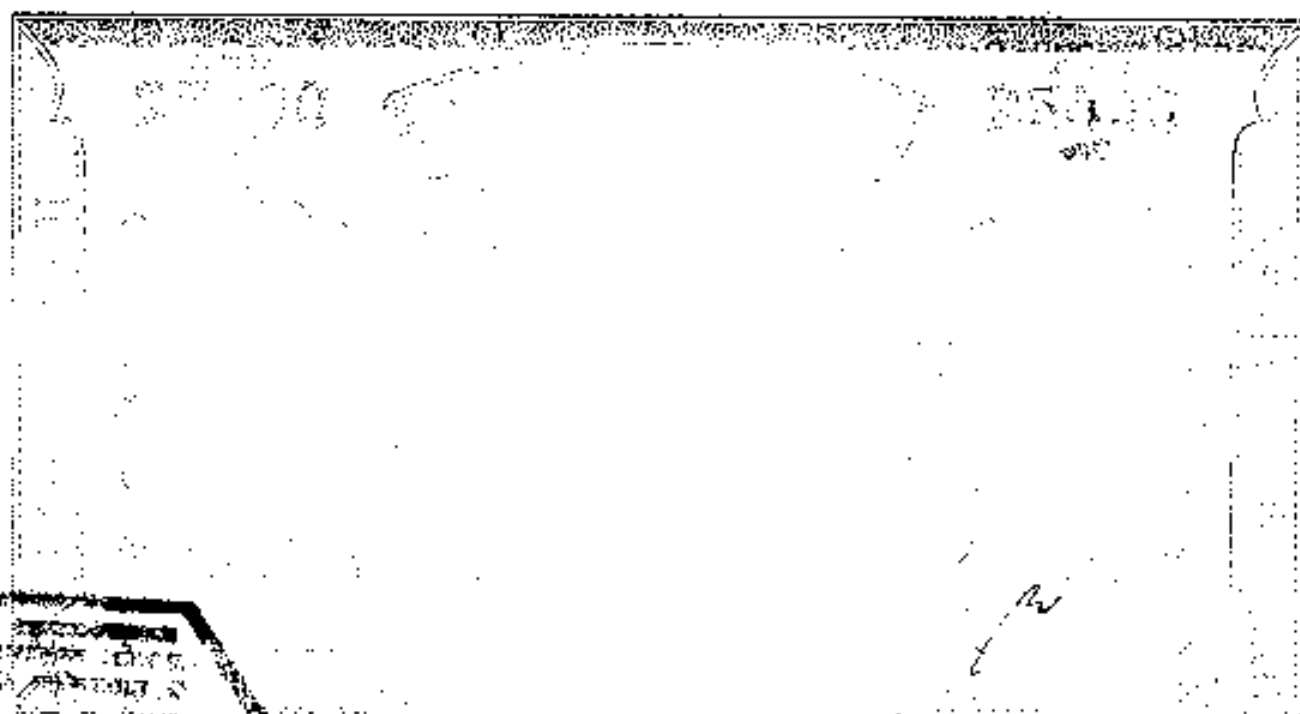
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (17)

164402

हम विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं० 15 के खसरा नं० 192 रकबई 1.5590 हैक्टेयर का 1/4 भाग रकबई 0.38975 हैक्टेयर लगानी 43 रुपये 65 पैसे स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के अपने हिस्से के पूण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। हम विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः हम विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शूद्र बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की

Handwritten signature





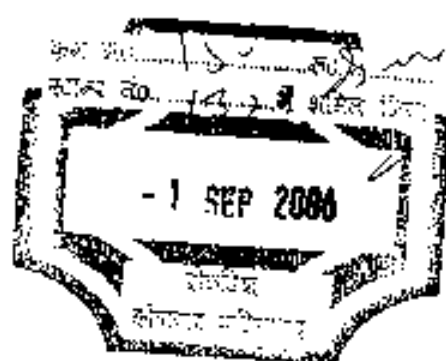
उत्तर प्रदेश

(18)

164401

जारी में विक्रय धनराशि अंकन 37,26,010/-रूपये (सैतीस लाख छब्बीस हजार दो सौ रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन 18,63,005/-रूपये (अट्ठारह लाख तिरैठ हजार पाँच रूपये मात्र) होते हैं के एवज में हाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स पाईन रियल स्टेट प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्युनिटी सेंटर एन.एफ. सी. नई दिल्ली द्वारा श्री राकेश उप्पल पुत्र श्री ब्रजमोहन उप्पल निवासी-ए-334, शिवालीक नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बेच कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशि मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशि बाकी नहीं रही है।

Handwritten signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081234

(19)

(13) विक्रय भूमि का कच्चा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक का बिज दखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहसिवत मालकाना प्रयोग में लावे।

साक्षी अमल



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(20)

A 773655

(14) विक्रेता, विक्रीत भूमि के संबंध समस्त कागजात में बखरिये बेंनाम दाखिल
खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज
करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुद्रा फरीक अखिल
से करा सकते हैं, मुद्रा फरीक अखिल को कोई एतराज नहीं होगा।

हस्ताक्षर मुद्रा



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

₹ 1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

भारत-प्रदेश-प्रदेश

A 773654

(21)

(15) अतः अब विक्रय पश्चात् विक्रीत भूमि की मिलाकियत भूमि में निहित हित व उसके भूख्य घन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

साक्षी अमल

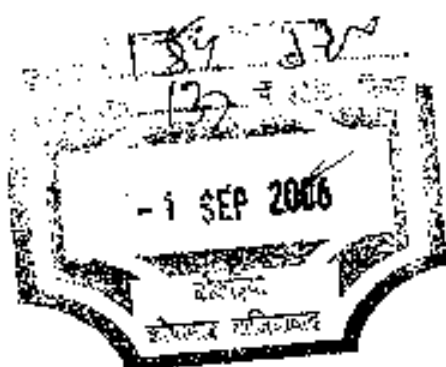


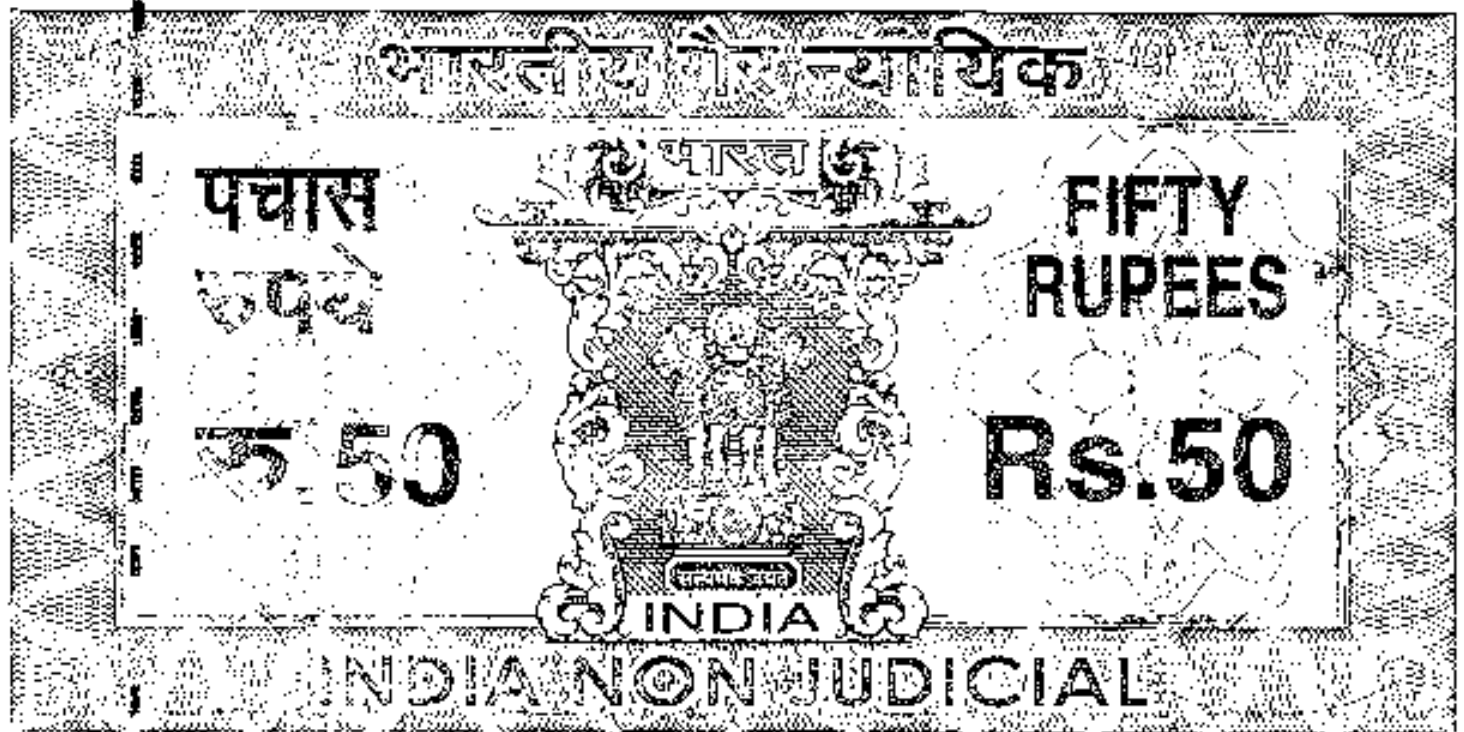


(22)

16) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/ विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हज्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

Handwritten signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 815099

(23)

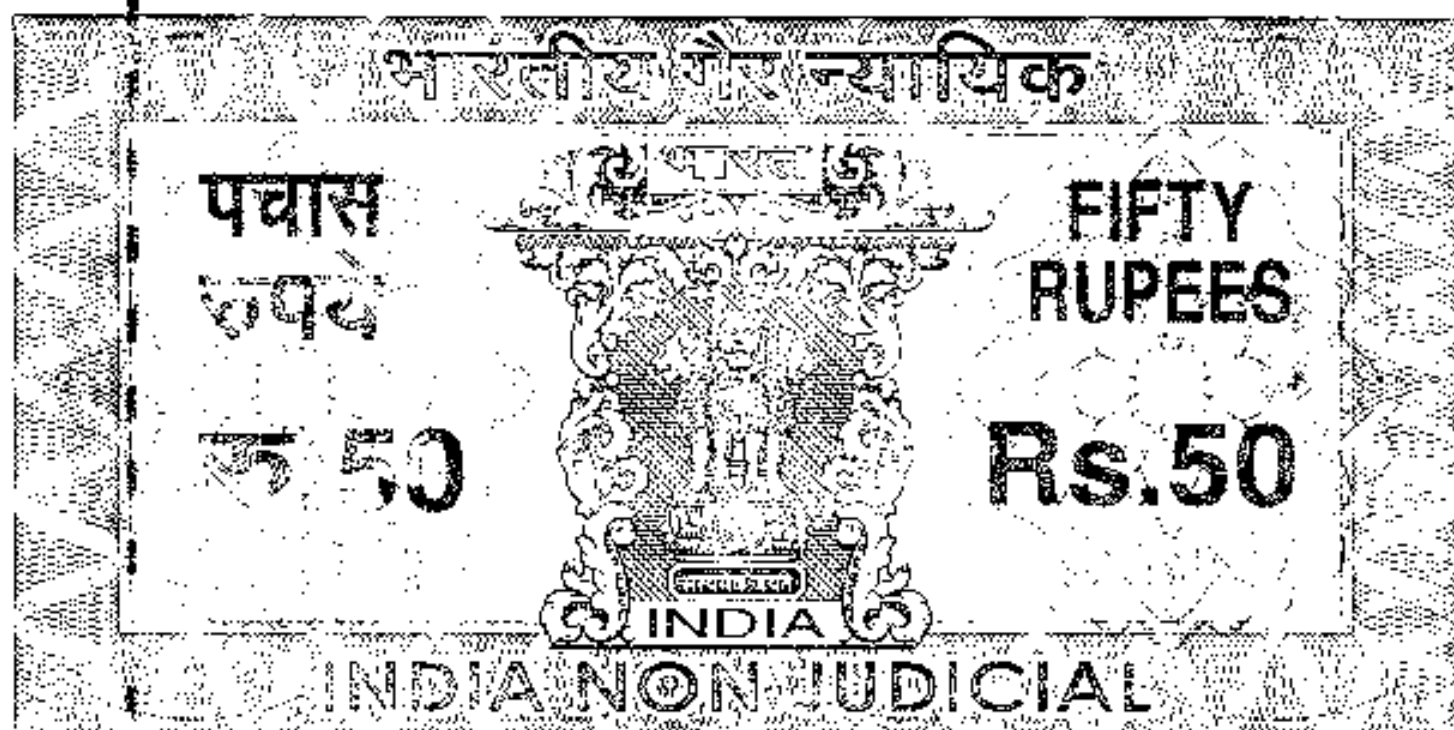
(17) यह कि फरीक अव्वल ने विक्रीत भूमि के स्वामित्व से संबंधित सभी मूल दस्तावेज(मूल बैनामा पूर्ण श्रद्धंता, दान पत्र, वसीयत, मूल पट्टा, व न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति आदि) जो विक्रेता के पास उपलब्ध है, उन्हें क्रेता को सौंप दिया है ।

(18) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 815098

(24)

(19) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

(20) विक्रेता ने अपने 1/4 भाग की विक्रीत भूमि रकबई 0.38975 हैक्टेयर, लगानी 43 रुपये 65 पैसे खाता नं० 15 के खसरा नं० 192 स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय घनराशी प्राप्त कर ली है:-

रामेश्वर



भारतीय न्यायिक

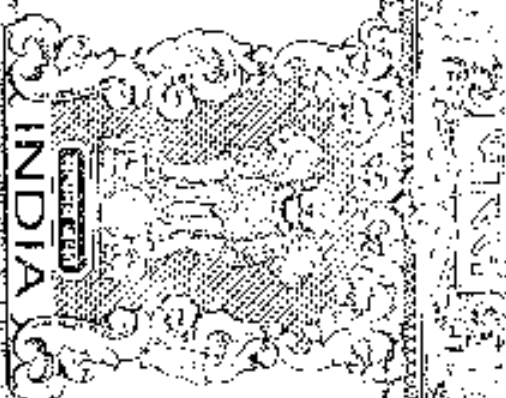
पचास

रुपय

FIFTY
RUPEES

रु. 50

RS. 50



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 815097

(25)

(अ) बैंक कोटक महिन्ना बैंक लि० शाखा डी-९६० फ़ैडस कालौनी, नई दिल्ली
का बैंक नम्बर ००००१५ दिनांकित २७.०५.२००६ अंकन ३,७२,५५३/-रुपये (तीन लाख
बहालतर हजार पाँच सौ तिरपन रू० मात्र) फरीक अव्वल द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त
कर ली गयी है।

(ब) कोटक महिन्ना बैंक लि० शाखा डी-९६० फ़ैडस कालौनी, नई दिल्ली बैंक
नं० ०००००८ दिनांक ३०.०८.२००६ कुल धनराशि रू० ३३,५३,५५७/- (तीन लाख
तिरपन हजार चार सौ सत्तावन रुपये) फरीक अव्वल द्वारा सम्पूर्ण धनराशि

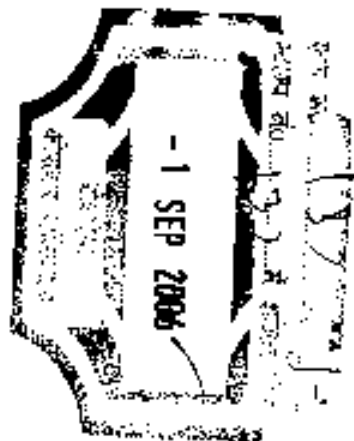
24/10/2006

[Signature]

[Signature]

[Signature]





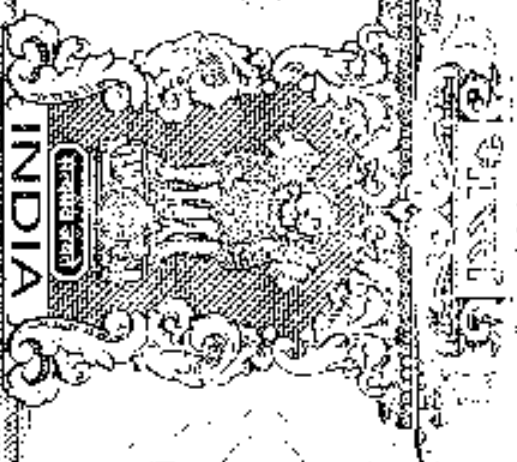
भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

RS.50



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 815096

प्राप्त कर ली गयी है ।

चौधरी सुभाष

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अकबल (चिक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दायम (क्रेता)

गवाह नं 1

श्रीधर 56 निवासी
जालौनपुरा जामा बाजार

गवाह नं 2

श्रीधर 56 निवासी
जालौनपुरा जामा बाजार

Tejendra Singh

Advocate
Ch. No-397, Civil Court

तहरीर दिनांक : 1.09.2006

पञ्चवक्ता न्यायिक एडवोकेट गाजियाबाद ।



आज दिनांक 01/09/2006 को
वही सं 1 जिल्द सं 1601
पृष्ठ सं 112 से 138 पर क्रमांक 5972
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

के. के. यादव

उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद

1/9/2006



1643

उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी अमित कुमार
 पुत्र/पुत्री श्री सत्यवीर सिंह निवासी गाँव पुरा
 तहसील गाँववाड़ नगर गाँववाड़ जिला गाँववाड़
 उत्तर प्रदेश राज्य की जाति जाति विछड़ी जाति के व्यक्ति है यह जाति उत्तर प्रदेश
 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)
 अधिनियम 1994 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी अमित कुमार
 उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची दो अधिसूचना संख्या 22/16/92 का 2/1995 टी० सी० दिनांक
 8 दिसम्बर 1995 द्वारा तथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी अमित कुमार तथा/अथवा उनका
 परिवार उत्तर प्रदेश के अम तहसील
 नगर गाँववाड़ जिला गाँववाड़ में निवास कर रहा है।

स्थान : गाँववाड़
 दिनांक : 24-7-2008

मुख्याधिकारी श्री आशा सिंह नि उ० लेखा
 श्री सत्यवीर सिंह के माध्यम से जारी
 किया गया। 24-7-2008



हस्ताक्षर तहसीलदार
गाँववाड़

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी
 जिला गाँववाड़ परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

FORM NO. 29
(RULE 827)
CERTIFICATE OF SEARCH

938
Certificate No.
Application No.

Shri श्री श्री here applied to me for a Certificate given particulars of registered acts and encumbrance if any in respect of the under mentioned

आम नं-15 की खसरा सं-132 व 134 व 192 के खसरा सं-115592
के कस्बिया फासा साबा लर व लर साबा 500913 / फासा - अमर
कमल व गलबान सिंह

(To be soats & described as given in the application)

I have certify that search has been made in book I and in the annexed relating have to from the year 1991 to the year 31/8/2006 for act and encumbrances efficient the said property and that on such the following facts and encumbrances.

No.	Description of the property is given in the documents	date of execution	Tenure & value of document	Name of the Parties Execution claimed	Reference No Year
-----	---	-------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------

अध्याय 15 के अन्तर्गत अन्तिम भाग में 92 और 93
नहीं पाया गया

I also certify that have there a said act and encumbrances on the acts affecting the said property have been found
Prepared by: [Signature]

Office: SRP
Date: 29/8/2006

(Signature)
Designation

Signature of Registrar

SEAL
NOTES

1. The acts and encumbrances shown in this certificate at those discovered with reference to the described in request read documents in cannot different from law in which the applicant has described those transaction evidenced by such documents will not be included in the certificate.
2. The required search has been made as carefully as possible by office but the department will not be held accountable itself responsible for or errors in the result of seface embodied in the certificate
3. This certificate does not include documents if any which has been presented but have been registered up to date.

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ
(ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ)

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ

क्रमांक	खेती की संख्या	खेती का क्षेत्रफल	खेती की संख्या	खेती की संख्या	खेती की संख्या	जमी (कपासी वाली भूमि) का बंटाव									खेती की संख्या			
						खेती			खेती			खेती			खेती		खेती	
						खेती का नाम	खेती का नाम	खेती का नाम	खेती का नाम	खेती का नाम	खेती का नाम	खेती का नाम	खेती का नाम	खेती का नाम	खेती का नाम	खेती का नाम	खेती का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	0.491	15	खेती	—	खेती	खेती	0.491	—	खेती	0.491	—	—	—	—	0.491	—	—	—

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 16010210112

ग्राम का नाम : सादिकपुर/काजीपुरा

परगना : डासना

तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद

फसली वर्ष : 1414-1419

भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खामेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय यसगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संराज उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9-12	13

श्रेणी : L-क भूमि जो संक्रमणोप भूमिधरो के अधिकार में हो।

00015	खजान	शादी	ग्रामवासी	पू.1385 पू.1385 पू.1385	132 134 192	1.4830 0.4910 1.5590		न्यायालय तहसीलदार न्यायिक गाजियाबाद बाद सं० 60/451 धारा 34 यूएल०अर्बिड अर्पित आदि वनाम खजान आदेश दि० 28-1-06 में आदेश हुआ कि खाता सं० 15 पर अर्पित खातेदार खजान पुत्र शादी का नाम निरस्त करके पंजी. वसीयत दि० 2-3-96 के आधार पर ख०सं० 192 के रकबा 6-3-0 ख०सं० 132/5-17-4 ख०सं० 134/1-18-15 कुल दोनों खसरा संख्या प्रदर्शित रकबा 1/2 भाग पर मलखत पुत्र खजान व शेष 1/2 भाग पर अमित व कपिल पुत्रगण सतबीर नियारसिंग स्थानीय का नाम बतौर वारिस दर्ज है। ह०सं०आर०के०/28-1-06 आदेशानुसार श्रीमान ना०तह०महो०मि०न० 175/ 11.12.2006 को आदेश हुआ कि खाता सं 15 के खसरा नं० 192मि०रकबा 1.5590ह० मा०गु० 1.7300 पैसे से यिकेना मलखान सिंह पुत्र खजान सिंह नियासी ग्राम सादिकपुर काजीपुरा पर०डासना तह० व जिला गाजियाबाद का नाम बदलकर भाग से खारिज करके मेला मै० उपल चंडा हाईटेक डवलपमें प्र०मि० द्वारा रजिस्ट्र उपल पुत्र बजमोहन उपल नियासी त-334 शियालिक नई दिल्ली का नाम बतौर बैनामा दर्ज होवे। ह०सं०आर०के० आदेशानुसार श्रीमान ना०तह०महो०मि०न० 179/11 12.2006 को आदेश हुआ कि खाता सं 15 के खसरा नं० 192रकबा 1.5590ह० मा०गु० 43.65 पैसे से	
-------	------	------	-----------	-------------------------------	-------------------	----------------------------	--	---	--

ग्राम क्रमांक : 16010210112

ग्राम का नाम : सादिकपुर/काजीपुरा

परगना : डासना

तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद

फसली वर्ष : 1414-1419

भाग : 1

खारा खलीमी कृष्ण संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार द्वारा देय मानगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संरक्षण उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और अज्ञात देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9-12	13

विक्रेता अमित पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम
सादिकपुर काजीपुरा का नाम बख्तर भाग से
खारिज करके क्रेता में
पाईन रिफ्ल एस्टेट प्रा0लि0 33कम्यूनिटी सेन्टर एन0एफ0
सी0 नई दिल्ली द्वारा राकेश उपल पुत्र ब्रजमोहन उपल
निवासी ए-334 शिवालिक नई दिल्ली का नाम
बतौर बेनामा दर्ज होवे (ह0ए0आर0के0)
आदेशानुसार श्रीमान ना0तह0महो0मि0न0 180/
11.12.2006 को आदेश हुआ कि खाता सं 15 के
खसरा न0 134 रकबा 0.4910हे0 या0गु0 24.25 ऐसे
सक विक्रेता अमित व कपिल पुत्र सत्यवीर निवासी
सादिकपुर काजीपुरा का नाम बख्तर भाग से
खारिज करके क्रेता में एन्जेलिका प्रमोटर्स प्रा0लि0
33 कम्यूनिटी सेन्टर एन0एफ0सी0 नई दिल्ली द्वारा
राकेश उपल पुत्र ब्रजमोहन उपल निवासी ए-334
शिवालिक नई दिल्ली का नाम बतौर बेनामा दर्ज होवे।
ह0ए0आर0के0
आदेशानुसार श्रीमान ना0तह0महो0मि0न0 181/11.12.
2006 को आदेश हुआ कि खाता सं 15 के खसरा न0
192 रकबा 1.5590हे0 या0गु0 43.65 ऐसे से विक्रेता
कपिल पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम सादिकपुर
काजीपुरा का नाम खारिज करके क्रेता में पाईन
रिफ्ल एस्टेट उपलपसं प्रा0लि0 33 कम्यूनिटी
सेन्टर एन0एफ0सी0 नई दिल्ली द्वारा राकेश उपल पुत्र
ब्रजमोहन उपल निवासी ए-334 शिवालिक
नई दिल्ली का नाम बतौर बेनामा दर्ज होवे।
ह0ए0आर0के0

ग्राम क्रमांक : 16010210112

ग्राम का नाम : सादिकपुर/काजीपुरा

परगना : डासना

तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद

फसली वर्ष : 1414-1419

भाग : 1

खाला खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मानगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश या उसके संराश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
					कुल गाटे : 3	कुल क्षे : 3.5330	174.50		

हस्ताक्षर

